न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 225 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. कालूराम पुत्र शेराराम
2. मुकनाराम पुत्र शिवजीराम

जातियान जाट निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी, बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. सिमरथाराम पुत्र लाधाराम उम्र 80 वर्ष
2. गेनाराम पुत्र मांगाराम उम्र 50 वर्ष
3. चेनाराम पुत्र मांगाराम उम्र 48 वर्ष
4. चूनीदेवी पत्नि मांगाराम उम्र 70 वर्ष
5. थानाराम पुत्र रायमल उम्र 70 वर्ष
6. दुर्गाराम पुत्र वागाराम उम्र 70 वर्ष
7. पूराराम पुत्र मांगाराम उम्र 45 वर्ष
8. मानाराम पुत्र मांगाराम उम्र 42 वर्ष
9. अणदाराम पुत्र दलाराम उम्र 50 वर्ष
10. घमण्डाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 75 वर्ष
11. चूनाराम पुत्र लादूराम उम्र 55 वर्ष
12. पदमाराम पुत्र लादूराम उम्र 53 वर्ष
13. पारू पत्नि लादूराम उम्र 80 वर्ष
14. पोकराराम पुत्र लादूराम उम्र 50 वर्ष
15. लूम्बाराम पुत्र लादूराम उम्र 48 वर्ष
16. देवाराम पुत्र रूपाराम उम्र 50 वर्ष
17. रावताराम पुत्र रूपाराम उम्र 48 वर्ष
18. वरजूदेवी पत्नि रूपाराम उम्र 70 वर्ष

जातियान जाट निवासी धने की ढाणी सिणधरी जिला बाड़मेर

19. कमलादेवी पुत्री हरखाराम उम्र 20 वर्ष
20. खेताराम पुत्र हरखाराम उम्र 25 वर्ष
21. घमण्डाराम पुत्र मोमताराम उम्र 70 वर्ष
22. धनीदेवी पत्नि हरखाराम उम्र 70 वर्ष
23. नेनाराम पुत्र हरखाराम उम्र 40 वर्ष
24. चेतनराम पुत्र रूपाराम उम्र 65 वर्ष
25. डालूराम पुत्र लिखमाराम उम्र 80 वर्ष

जातियान नाई निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:05 IST
Reason: SelfAttested

26. अमरा[illegible]नाराम उम्र 50 वर्ष
27. खरता[illegible] पुत्र [illegible]ाराम उम्र 60 वर्ष
28. [illegible] उम्र 70 वर्ष
29. [illegible] पुत्र [illegible]ाराम उम्र 65 वर्ष
30. रूपो पत्नि [illegible]ाराम उम्र 85 वर्ष
31. कालूराम पुत्र भींयाराम उम्र 40 वर्ष
32. देवाराम पुत्र भींयाराम उम्र 42 वर्ष
33. भंवराराम पुत्र भींयाराम उम्र 45 वर्ष
34. रामाराम पुत्र भींयाराम उम्र 38 वर्ष
35. हरखूदेवी पत्नि भींयाराम उम्र 80 वर्ष
36. धनाराम पुत्र तेजाराम उम्र 45 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

37. नेनूदेवी पत्नि तेजाराम उम्र 85 वर्ष जातियान मेघवंशी (मेघवाल) निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
38. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 28.12.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसरा संख्या 96 रकबा 5.3070 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 96/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल रकबा 5.3717 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसरा संख्या 96 रकबा 5.3070 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 96/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल रकबा 5.3717 हैक्टेयर भूमि की पक्की नैंखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। [illegible] को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:05 IST
Reason: SelfAttested

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसरा संख्या 96 रकबा 5.3070 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 96/1 रकबा 0. 0647 हैक्टेयर कुल रकबा 5.3717 हैक्टेयरभूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की

उपखण्ड अधिकारी

ाठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसरा संख्या 96 रकबा 5.3070 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 96/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल रकबा 5.3717 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसरा संख्या 96 रकबा 5.3070 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 96/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल रकबा 5.3717 हैक्टेयरभूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज. है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौज़ा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा धने की ढाणी के खेत खसरा संख्या 96 रकबा 5.3070 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 96/1 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल रकबा 5.3717 हैक्टेयरभूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28-12-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी